राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन जयपुर

क्रमांक एफ.वी.9(1)(4)(8)स्था/संबल/पार्ट/24 दिनांक 25-07-2019

नियुक्ति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ पशुपालन सेवा नियम 1977 के अनुसार कार्मिक (क–2 नियम) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.7(2) कार्मिक (क–2) 05 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प. 16(2) वित्त/नियम/98 दिनांक 13.03.2006, प.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 13.03.2006, प.6(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प.16(5)वित्त/नियम/98 दिनांक 13.03.2006, प.1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं समय–समय पर हुए विभिन्न संशोधनों के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) निमय 2008 के नियम 22 की अनुसूची IV, अधिसूचना संख्या एफ.14(1)एफडी (रूल्स) 2013–II, दिनांक 28.08.2013 एवं अधिसूचना संख्या एफ.15(1)एफडी (रूल्स)/2017, दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत पशुधन सहायक के पद पर पे–लेवल 8 में कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी (probation trainee) के रूप में रू. 18500/– प्रतिमाह पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) की दर पर नियुक्ति हेतु राजस्थान अधिनस्थ एंव मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के पत्रांक प.14 (37) RSMSSB/अर्थना/पशुपा/पशु.सहा./2016/पार्ट–II/3469 दिनांक 18.10.2018 के द्वारा उपलब्ध करायी की सूची के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 36 अभ्यार्थियों एंव अनुसूचित क्षेत्र के 3 अभ्यार्थियों का पदस्थापन निम्न शर्तों पर किया जाता है :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है।
2. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यधीन रहेगी।
3. यह नियुक्ति स्वास्थ्य एवं चालचलन ठीक प्रमाणित होने की शर्त के अध्याधीन की जा रही है। इसके लिए कार्यभार सम्भालने की दिनांक को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा पुलिस विभाग के रिकार्ड के अनुसार सन्तोषप्रद चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् ही कार्यग्रहण किया सकेगा।
4. विवाहित अभ्यार्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं दिनांक 01.06.2002 एवं इसके पश्चात् 2 से अधिक सन्तान उत्पन्न होने सम्बन्धी रू. 50/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. परीविक्षाकाल में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नही होगी।
6. उक्त परीविक्षा अवधि में अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगा। परीविक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि विशेष राजस्थान सेवा नियम में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगें। 2 वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में सन्तोषप्रद सेवा पूर्ण करने